सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

1 CHAITRA 1947 (S)

No. 139

RANCHI SATURDAY 22ND MARCH, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

22nd March, 2025

Notification No.- 05/2024 – State Tax(Rate)

S.O. No. 1, Dated 22nd March, 2025--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, Commercial Taxes Department, No. 1/2017-State Tax (Rate), published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) after Schedule I – 2.5% , in List 1, after item number 232 and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -

"(233) Trastuzumab Deruxtecan

(234) Osimertinib

(235) Durvalumab";

(b) in Schedule II – 6%, after S. No. 32B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“32C	1905 90 30	Extruded or expanded products, savoury or salted (other than un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion)”;

(c) in Schedule III – 9%, -

(i) against S. No. 16, in column (3), for the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion”, the words “un-fried or un-cooked snack pellets, by whatever name called, manufactured through process of extrusion, extruded or expanded products, savoury or salted” shall be substituted;

(ii) for S. No. 435A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00 or 9401 20 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles”;

(d) in Schedule IV – 14%, after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“210A	9401 20 00	Seats of a kind used for motor vehicles”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 10th day of October, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2024]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 31, dated the 29th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 2/2024 – State Tax (Rate), dated the 14th August, 2024, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 9, dated the 14th August, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 मार्च, 2025

अधिसूचना सं0. 05/2024- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 1, **दिनांक 22 मार्च, 2025** --झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची 1 -2.5% के पश्चात, सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन

(234) ओसिमेरटिनिब

(235) डुरवालुमैब";

(ख) अनुसूची II में - 6%, क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"32ग	1905 90 30	एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड (एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स के अलावा, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों)";

(ग) अनुसूची III में - 9%, -

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, "एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों के स्थान पर, "एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना

पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों, एक्सट्रूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेड” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“435क	9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]	सीटें (शीर्ष 9402 के अलावा), चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा”;

(घ) अनुसूची IV में - 14%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“210क	9401 20 00	मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें"।

2. यह अधिसूचना दिनाक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2024]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,
आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 31, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2024- राज्य कर (दर), दिनांक 14 अगस्त, 2024, जिसे एस. ओ. सं. 9, दिनांक 14 अगस्त, 2024, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 139-- 50.